राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

5473-506

पत्रांकः एफ 5 (4) आ.प्र. एवं स.आ./चारा/पशुआहार/09/ जयपुर, दिनांक 12.3.10

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर।

विषयः— अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पशु आहार की उपलब्धता के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 6 के बिन्दु संख्या 6.2.11 एवं अनुच्छेद 7 के बिन्दु संख्या 7.2.16 में दिये गये निर्देश इस प्रकार हैं:— " यह पशु आहार आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा निर्मित या मार्केटिंग सोसायटी/उपभोक्ता संघ द्वारा क्रय किये जाने वाला पशु आहार ही उपलब्ध कराया जावे।"

इसी प्रकार संवत 2066 के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांकं 21.12.2009 में इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देश इस प्रकार हैं:— "पशु आहार अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही देय होगा।"

इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2221—51 दिनांक 27.1.10 (प्रति संलग्न) द्वारा राजफैड द्वारा क्रय कर आपूर्ति किये गये पशु आहार पर भी अनुदान दिये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुसार ही राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, जयपुर को भी स्वयं के उत्पादन के अतिरिक्त क्रय कर पशु आहार की आपूर्ति किये जाने हेतु एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

11/3/10

शासन सचिव